2005:सीजीएचसी:5958

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या– 611/2001

याचिकाकर्ता – मोतीलाल साहू, पिता अमोली साहू ,
उम्र– 65 वर्ष, सेवानिवृत्त लाइनमैन ग्रेड II,
निवासी– एमपीईबी राजनांदगांव(छ.ग.),
गुरुद्वारे के पास, मुख्य अस्पताल के सामने, राजनांदगांव,
तह एवं जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण – (i) छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल डंगनिया, रायपुर (छत्तीसगढ़)
(ii) अधीक्षण अभियंता, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकलपीठ : माननीय सतीश के. अग्निहोत्री न्यायमूर्ति :–

याचिकाकर्ता के लिए : श्री अजय श्रीवास्तव, अधिवक्ता।
उत्तरवादीगण के लिए : श्री पीकेसी तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ श्री अविनाश के मिश्रा, अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(4 जनवरी, 2006)

01– यह याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226, 227 के तहत दायर की गई है, जिसमें दिनांक 29.01.1996 के आदेश (अनुलग्नक पी/4) की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की तिथि को भूतलक्षी तिथि अर्थत दिनांक 01.01.1994 से बदलकर दिनांक 30.06.1988 कर दिया गया है।।

02– इस याचिका के प्रयोजन के लिए संक्षेप में प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को अधीक्षण अभियंता, एमपीईबी, राजनांदगांव द्वारा लाइनमैन ग्रेड–II के रूप में नियुक्त किया गया था और दिनांकित आदेश 01.01.1994 (अनुलग्नक पी/1) पारित होने तक लाइनमैन ग्रेड–II के रूप में कार्य करना जारी रखा, वह दिनांक 01.01.1994 से अधिवार्षिकी की आयु पूर्ण होने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। उत्तरवादीगण ने दिनांकित आदेश 29.01.1996 द्वारा दिनांकित आदेश 01.01.1994 को रद्द कर दिया जिसके तहत याचिकाकर्ता को दिनांक 01.01.1994 से सेवानिवृत्त होने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश दिया गया था कि याचिकाकर्ता को 58 वर्ष की अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.06.1988 से सेवानिवृत्त होना चाहिए।

03– तत्पश्चात, दिनांकित आदेश 05.02.1996 (अनुलग्नक पी/3) द्वारा, उत्तरवादीगण ने याचिकाकर्ता की दिनांक 01.07.1988 से दिनांक 31.12.1993 तक की सेवा अवधि को पुनर्नियुक्ति माना और देय पेंशन को घटाते हुए याचिकाकर्ता को दिनांक 30.06.1988 को देय मूल वेतनमान और भत्ते प्रदान किए गए। तदनुसार, उत्तरवादीगण ने 5 वर्ष छह माह की अतिरिक्त कार्य अवधि के कारण 87,755/– रुपये (सत्तासी हजार सात सौ पचपन रुपये) का अतिरिक्त भुगतान वसूली योग्य माना है।उपदान, अनुग्रह और पेंशन राशि 59,779/– रुपये (उनसठ हजार सात सौ उनहत्तर रुपये) को समायोजित करने के बाद, शेष राशि 27,755/– रुपये (सत्ताईस हजार सात सौ पचपन रुपये) को याचिकाकर्ता की पेंशन से 600/– रुपये (छह सौ रुपये) प्रति माह की दर से दिनांकित आदेश 09.12.1997 (अनुलग्नक आर–6) द्वारा वसूलने का निर्देश दिया गया था।।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

04– याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव ने तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांकित आदेश 29.01.1996, 05.02.1996 तथा दिनांकित पत्र 09.12.1997 निम्नलिखित आधारों पर गलत तथा विधि विरुद्ध है:–

i) याचिकाकर्ता उत्तरवादीगण द्वारा पारित दिनांकित आदेश 01.01.1994 के तहत दिनांक 01.01.1994 से सेवानिवृत्त हो गया है, न कि याचिकाकर्ता द्वारा किएगए किसी दुर्व्यपरदेशन के कारण। याचिकाकर्ता को दिनांक 01.07.1988 से दिनांक 31.12.1993 तक काम करने की अनुमति दी गई थी और उसे वेतन वृद्धि, भत्ते आदि सहित वेतन का भुगतान किया गया था। उत्तरवादीगण द्वारा सेवानिवृत्ति की

तिथि बदलने तथा दिनांक 30.06.1988 से दिनांक 31.12.93 तक की अवधि को पुनर्नियुक्ति मानकर अतिरिक्त राशि वसूलने का आदेश अनुचित, अयुक्तियुक्त तथा अवैध है; तथा

ii) उत्तरवादीगण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश (पूर्वोक्त) में सिविल परिणाम शामिल हैं और इस प्रकार, याचिकाकर्ता को नोटिस दिए बिना इसे पारित नहीं किया जा सकता था। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उपरोक्त दिनांकित आदेश 29.01.1996, 05.02.1996 एवं 09.12.1997 को अभिखंडित किया जाए तथा उत्तरवादीगण को पेंशन से कटौती की गई राशि ब्याज सहित अदा करने का निर्देश दिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

05- उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.के.सी तिवारी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री अविनाश के मिश्रा ने तर्क प्रस्तुत किया कि गलती से याचिकाकर्ता, जो कि मोतीलाल साहू पिता श्री अमोली साहू है, को दिनांक 31.12.1993 तक काम करने की अनुमति दी गई थी। वास्तव में यह दिनांकित आदेश 01.01.1994 अन्य कर्मचारी अर्थात श्री मोतीलाल पिता श्री अमरनाथ के प्रकरण में पारित किया जाना था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की आयु और जन्म तिथि को ध्यान में रखते हुए, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा विवादित नहीं किया गया है, याचिकाकर्ता ने अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने के बाद भी काम किया है; और इस तरह याचिकाकर्ता को गलत तरीके से काम करने और वही वेतन प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी जो उसे अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने के कारण सेवानिवृत्ति होने से पहले मिल रहा था।

06- उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादीगण ने मानवीय आधार पर इस अवधि को पुनर्नियुक्ति मानने का निर्णय लिया है, ताकि याचिकाकर्ता को कार्यालय में किए गए कार्य के लिए वेतन से वंचित न किया जा सके। याचिकाकर्ता को अपना पूरा वेतन नहीं, बल्कि दिनांक 30.06.1988 को प्राप्त अंतिम वेतन, जिसमें से उसे देय पेंशन को घटाकर भत्ते दिए जाएंगे, पाने का अधिकार है।

2005:सीजीएचसीः5958

07– मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा याचिका के साथ संलग्न अभिलेखों तथा उत्तरवादीगण द्वारा दाखिल जवाबदावा का अवलोकन किया है। यह स्पष्ट है कि दिनांकित आदेश 01.01.1994 के अनुलग्नक पी/1 में स्पष्ट रूप से वर्तमान याचिकाकर्ता का नाम श्री मोतीलाल साहू पिता श्री अमोली साहू लिखा है। इसके अतिरिक्त दिनांकित आदेश 29.01.1996, 05.02.1996 तथा 09.12.1997 में भी याचिकाकर्ता का वही नाम अर्थात श्री मोतीलाल साहू पिता श्री अमोली साहू दर्ज है। उत्तरवादीगण का तर्क है कि यह आदेश अन्य कर्मचारी मोतीलाल पिता अमरनाथ के लिए था, टिकने योग्य नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

08– ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य कर्मचारी, अर्थात् श्री मोतीलाल पिता अमरनाथ ने दिनांक 01.07.1988 से अपनी सेवानिवृत्ति स्वीकार कर ली है और उसे तदनुसार पेंशन लाभ प्रदान किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने काम किया है और उसे दिनांक 01.01.1994 से अपनी सेवा से सेवानिवृत्त होने का आदेश दिया गया था और इस तरह, याचिकाकर्ता को उसके वेतन के भुगतान से इनकार नहीं किया जा सकता है, जो उसे पहले ही दिया जा चुका है। ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

09– तत्पश्चात् दिनांकित आदेश 29.01.1996 और 05.02.1996 द्वारा उत्तरवादीगण के अधिकारी 8 वर्ष की अवधि के पश्चात लम्बी नींद से जागे और ऐसा आदेश पारित किया कि सेवानिवृत्ति की आयु भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 01.01.1994 से बदलकर 30.06.1988 कर दी जाए।

10– कैलाश सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2005 ए.आई.आर. एस.सी.डब्लू. 3273) प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया हैं कि :

> "6. जहां तक सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का सवाल है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वे उन्हें स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं। हम पिछले पैराग्राफ में दर्शाए गए तथ्यों की पृष्ठभूमि में उत्तरवादीगण की ओर से किए गए प्रस्तुतीकरण की विवेचन करने में विफल रहे हैं। उत्तरवादीगण ने बिना किसी विवाद के अपीलार्थी से काम लिया। वह स्पष्ट रूप से अपने वेतन का हकदार है और कोई कारण नहीं है कि उसे सेवानिवृत्ति के बाद

> के लाभों से वंचित किया जाए। उनकी कुल सेवा अवधि 32 वर्ष है। हम पहले ही इस तथ्य पर ध्यान दे चुके हैं कि चिकित्सा विवरण को अभिलेख नहीं रखा गया है, न ही हमें "औसत आयु" शब्द का अर्थ समझाया गया है। तथ्यों और इस प्रकरण की परिस्थितियों की समग्रता में, हमें अपीलार्थी को उन लाभों से वंचित करने का कोई अच्छा कारण नहीं मिलता है।

11– साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य {1995 एस.सी.सी (एल.एंड.एस.) 248} के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि याचिकाकर्ता को उच्च वेतन याचिकाकर्ता द्वारा की गई किसी गलत व्याख्या के कारण नहीं, बल्कि अन्य अधिकारियों द्वारा गलत अर्थान्वयन या गणना के कारण प्राप्त हुआ था, जिसके लिए कर्मचारी को दोषी नहीं माना जा सकता। यह भी माना गया कि अब तक भुगतान की गई राशि कर्मचारी से वसूल नहीं की जा सकती। वर्तमान मामले में, बोर्ड के अधिकारियों द्वारा कुछ गलत गणना या गलत अर्थान्वयन हो सकता है, जिसके लिए याचिकाकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसने अपने द्वारा किए गए किसी गलत प्रतिनिधित्व के आधार पर दिनांक 31.12.1993 तक सेवा जारी नहीं रखी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12– भगवान शुक्ला पिता सरबजीत शुक्ला बनाम भारत संघ व अन्य {1994 (6) सुप्रीम कोर्ट केसेस 154} के मामले में, जिसमें कर्मचारी का मूल वेतन 18.12.1970 से भूतलक्षी प्रभाव से रु. 190/– प्रतिमाह से घटाकर रु. 181/– प्रतिमाह कर दिया गया था; उच्चतम न्यायालय ने निम्न अभिनिर्धारित किया था:–

"अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से सिविल परिणाम भुगतने पड़े हैं, लेकिन उसे अपने मूल वेतन में कटौती के विरुद्ध कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विभाग द्वारा उनके वेतन में कटौती करने से पहले उन्हें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया और कानून में ज्ञात किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना उनकी पीठ पीछे यह आदेश जारी कर दिया गया। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन किया गया है और अपीलार्थी को बिना सुनवाई के ही भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। निष्पक्ष कार्यवाही के लिए यह आवश्यक है कि ऐसा कोई भी आदेश, जिससे किसी कर्मचारी को सिविल परिणाम भुगतने पड़ें, संबंधित कर्मचारी

को नोटिस दिए बिना तथा मामले में उसकी सुनवाई किए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए।

वर्तमान प्रकरण में, आक्षेपित आदेश 29.01.1996, 05.02.1996 और 09.12.1997 के पारित होने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने वाला कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था।

13– तदनुसार, याचिकाकर्ता उसी वेतन का हकदार है जो उसे सेवानिवृत्ति से पहले प्राप्त हुआ था और उसके बाद वह कानून के अनुसार स्वीकार्य और देय सेवानिवृत्ति लाभों का भी हकदार है।

14– उपरोक्त कारणों से, याचिका सफल होती है और तदनुसार स्वीकृत की जाती है हालांकि, याचिकाकर्ता किसी भी ब्याज का हकदार नहीं होगा क्योंकि राशि वास्तव में उससे वसूल नहीं की गई है, बल्कि उसकी पेंशन और उपदान से काट ली गई है, बशर्ते उत्तरवादीगण दो महीने की अवधि के भीतर पेंशन और उपादान से काटी गई राशि का पूरा भुगतान करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15– इन परिस्थितियों में, वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

सही/–
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Uday Shankar Dewangan